

A-4277
2-4-12

66

न्यायालय श्रीमान् राजेश्वर मंडल जेबिलियर (मं.प्र.)

क्रमांक 833
दिनांक 24/12/11 प्राप्त



R 1027 J/12

श्रीमान् द्विवेदी तन्मय वृंश कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम सोनवर्षा, तहसील सिहावल
जिला सीधी मं.प्र. ३

निगरानीकर्ता

बनाम

1. भगवानदास गुप्ता पिता श्री छोटलाल प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम सोनवर्षा,
तहसील सिहावल, जिला सीधी मं.प्र. ३

2. शासन मध्य प्रदेश

गैर निगरानीकर्ता

निगरानीअन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार
तहसील सिहावल जिला सीधी मं.प्र. ३ के प्रकरण
क्रमांक 11/A-12/2011 x 12 के आदेश दिनांक-
4.2.2012

मा न्यवेर,

निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत है:-


- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया एवं सहज न्याय सिद्धान्तों के प्रतिष्ठा होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
- यहकि गैर निगरानीकर्ता द्वारा आराजी खसरा क्रमांक 893 रकबा 0.05 है 0 स्थित ग्राम सोनवर्षा, तहसील सिहावल जिला सीधी के सीमांकन हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें निगरानीकर्ता को वगैर सुनवाई एवं सूचना दिए सीमांकन की कार्यवाही की गई है हल्का पटवारी द्वारा मनमानी रूप से वगैर सीमा का निर्धारण किए सीमांकन किया गया है उक्त सीमांकन सीमांकन हेतु बनाए गए नियमों एवं प्रक्रियाओं के विपरीत था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन की पुष्टि कर विधिक भूल की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1027-I/12

जिला-सीधी

श्रीकांत द्विवेदी / भगवानदास गुप्ता

(1)	(2)	(3)
18.07.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।	 सदस्य